लखनऊ नगर निगम अभियन्त्रण विभाग की निविदा की शर्ते

आवश्यक सूचना :— निविदा के साथ निविदा की सूची संलग्न है उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं उसके बिना निविदा अस्वीकृत समझा जायगा।

१. मान्यता प्राप्त ठेकेदारों के समस्त विभागीय एवं पी०डब्लू०डी०, एल०एस०जी०ई०डी०, सिंचाई विभाग, नगर निगम से मोहरबंद निविदा कार्य :—

....

....

....हेतु आमंत्रित की जाती है जो नगर अभियन्ता सामान्य, नगर निगम, लखनऊ के पते पर होगा और अभियन्त्रण विभाग कार्यालय नगर निगम लखनऊ में दिनांक.......................................
....को साढ़े तीन बजे तक लिये जायेंगे।

२. रिक्त निविदा पत्र पर कार्य का विवरण तथा मात्रा अंकित होगी जो लखनऊ नगर निगम अभियन्त्रण विभाग नगर निगम लखनऊ के कार्यालय से नकद रु०.. देने पर निविदा का सेट प्राप्त किया जा सकता है।

३. अग्रिम धनराशि रु०..नगर अभियन्ता अभियन्त्रण के कार्यालय में कोषाध्यक्ष के यहां निविदा की अंतिम तिथि कम से कम एक दिन पहले तीन बजे तक जमा करना होगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त पत्र भेजने की तिथि से दस दिन के अन्दर तीन प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। (राष्ट्रीय रक्षा पत्र, बचत पत्र, सिक्योरिटी पत्र आदि बही मान्य होगा जो नगर अभियन्ता अभियन्त्रण के नाम न्यस्त एवं पोस्ट आफिस से परिवर्तित होगा) वरना संबंधित ठेकेदार का नाम विभागीय मान्यता प्राप्त सूची से ६ माह के लिए डिबार कर दिया जायगा। तथा ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि (अग्रिम भी) जब्त कर ली जायगी तथा ठेकेदार के चालित देयक से १० प्रतिशत उस समय काटा जायगा जब तक कि बकाया ५ प्रतिशत जमानत का धन प्राप्त नहीं हो जाता है। यह ५ प्रतिशत अंतिम देयक में ठेकेदार को दे दिया जायेगा। तथा ५ प्रतिशक कार्य सन्तोषजनक होने के बाद १२ माह बाद वापस किया जायगा।

४. किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निविदा के अस्वीकृत होने का कारण पूछा नहीं जा सकता है।

५. निविदा की स्वीकृति प्राप्त करने वाले ठेकेदार को स्वीकृत पत्र प्रमाण लेख पर हस्ताक्षर करने होंगे।

६. किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ अग्रिम धनराशि जमा करने की नकद रसीद अथवा सं० ३ के अनुसार अग्रिम धनराशि संलग्न न होगा।

७. निविदा के दर तथा जोड़ वाले शब्द तथा अंकों में स्पष्ट रूप से भरे जायेंगे तथा कोई भी काट छांट न की जायेगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

८. यदि निविदा की स्वीकृति प्राप्त करने वाले ठेकेदार १५ दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से कान्ट्रेक्ट डीड पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो निविदा के साथ जमा किया हुआ धन जब्त कर लिया जायेगा। निविदा की स्वीकृति वापस कर ली जायेगी।

९. ठेकेदार अपनी निविदा में दर उसी हिसाब से भरेगा जिस हिसाब से निविदा पत्र मांगा गया है।

१०. सम्भरण कार्य प्रारम्भ करने का तिथि से................माह के अन्दर नगर अभियन्ता की स्वीकृति के साथ समाप्त करना होगा।

११. निविदा देने की तिथि से ५०,००० रु० कम की निविदा ४ माह तक वैध रहेगी तथा इसके ऊपर के धनराशि की निविदा ६ माह तक वैध रहेगी।

१२. जो निविदा पता ठेकेदार का निविदा में मिलेगा वही पता मान्य होगा और इस पते पर भेजी गई डाक यदि डाकखाने से किसी कारण से वितरित न होकर वापस हो जाती है तो समझा जायेगा कि ठेकेदार द्वारा दरें स्वीकृत कर ली गई है।

विशेष (निविदा) सूचना

विशेष नियम :–

१. प्रत्येक निविदा के साथ अलग से अग्रिम धनराशि होनी चाहिए, दूसरे निविदा के साथ लगी अग्रिम धनराशि मान्य न होगी।

२. यदि एन०डी०सी० आदि नगर अभियन्ता के नाम प्लेज करके न लगाई गई तो मान्य न होगी।

३. पुरानी सिक्योरिटी या अग्रिम धनराशि जो विभाग द्वारा वापस की जाती है उसको अग्रिम धन के रूप में इंगित किया जायेगा तो मान्य न होगी।

४. अग्रिम धनराशि निम्न रूपों से ही स्वीकार होगी–

(अ) एन०डी०सी० नगर अभियन्ता के नाम प्लेज (न्यस्त)

(ब) सी०डी०आर० नगर अभियन्ता के नाम प्लेज (न्यस्त)

(स) एफ०डी०आर० नगर अभियन्ता के नाम प्लेज (न्यस्त)

(द) नकद धनराशि नगर निगम कोष में जमा करके उसकी रसीद मूल रूप में संलग्न होनी चाहिये।

उपरोक्त सभी साधारण एवं विशेष नियमों के पालन न होने पर निविदा मान्य न होगा और ठेकेदार को डिबार कर दिया जायेगा एवं ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

५. टेण्डर निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक ही बेचे जायेंगे। टेण्डर केवल कार्य दिवसों पर ११ बजे से २ बजे तक बेचें जायेंगे।

प्रमाणित –	ठेकेदार के हस्ताक्षर	नगर अभियन्ता
प्रधान लिपिक (अभि०)	तथा पता :	